प्रेषक, यू०ओ०: 02 / XXXVI(1)/08

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 22 मई, 2008

विषय:– जिला अल्मोड़ा में आपराधिक मामलों के संचालन हेतु नामिका अधिवक्ताओं का आबद्धन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 113/XXXVI(1)/08 दिनांक 28 मार्च, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिला अल्मोड़ा में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष फौजदारी वादों के संचालन हेतु आबद्ध नामिका अधिवक्ताओं की आबद्धता को अग्रिम आदेश तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोकहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला अल्मोड़ा में वर्तमान में कार्यरत नामिका अधिवक्ता श्री गंगा सिंह रावत की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया श्री गंगा सिंह रावत, अधिवक्ता को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव

संख्या: 02-(1)/XXXVI/ (एक)2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
4– पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
5– विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6– कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7– श्री गंगा सिंह रावत, अधिवक्ता, सिविल न्यायालय परिसर रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।
8– एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव